

प्रश्न सं. [क. 3327] का परिशिष्ट "अ"
 लोकाधिकार अधिनियम क्रमांक- 3327 का परिशिष्ट "अ"


लोक शिक्षण संचालनालय
 मध्यप्रदेश

ई-मेल

क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 09.06.17

- (1) समस्त कलेक्टरों को सूचित।
- (2) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
- (3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।



J.D. (S)

16/06

विषय- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी हेतु जारी शासन आदेश दिनांक 30.5.2017 के संघ में।

संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-13/2017/20-1, दि. 30.05.2017

:: 00 ::

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश क्रमांक एफ 1-13/2017/20-1, दिनांक 30.05.2017 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी (शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय) जो स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निगम/मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, को छोड़कर ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गई हो, तो उनकी प्रतिनियुक्ति पर सीपी गई सेवाये तत्काल प्रभाव से वापस किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

2/ उक्त आदेश के अनुक्रम स्पष्ट किया जाता है कि, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशासनिक कार्यालयों तथा म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम, राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/राज्य ओपन स्कूल आदि कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किया जाये अपितु स्कूल शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष विभागों में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त की गई हो जिस कार्यालय से वे प्रस्थित हुए थे, उस मूल संस्था/कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिनांक 31.5.2017 तक दिये जाने के निर्देश थे। ऐसे कर्मचारियों का वेतन मूल संस्था/कार्यालय में उपस्थित होने पर ही आहरित किया जायेगा।

(निर्देश दूये)
 आयुक्त
 लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/799
 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 09-06-17

- 1 विशेष सहायक गान0मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
- 2 स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन भोपाल।
- 3 सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
- 4 महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 5 परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण म.प्र.।
- 6 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7 सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 8 प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तक भवन भोपाल।
- 9 समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 10 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
- 11 संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल।
- 12 उप संचालक (स्थापना-2, 3 एवं 4/लेखा एवं शिक्षाकर्मि) स्थानीय।
- 13 निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्रमांक- 856

आयुक्त
 लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग